

मान्यता क्र. - CBSE/AFH/1780 405/55/00280/12-13
मान्यता दिनांक - 10/4/2012

आरटीई अन्तर्गत 25 प्रतिशत सीटों पर निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों के सत्यापन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन

(सत्र 2014-15)

जिला देसा ब्लॉक महवा विधानसभा क्षेत्र महवा निरीक्षण का दिनांक 14/11/14
विद्यालय का नाम व पता रुकमणी देवी इंटर मेडियल स्कूल कोड 08110406026

निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम पद एवं पदस्थापन स्थान:

(1) नाम गिहारी लाल मोदी पद पंचायत अध्यक्ष पदस्थापन स्थान: राष्ट्र उच्च माध्यमिक विद्यालय
मो.नं. 9829891552

(2) नाम राजि शुभ शर्मा पद लाइब्रेरियन पदस्थापन स्थान: राष्ट्र उच्च माध्यमिक विद्यालय
मो.नं. 9413095659

मान्यता क्रमांक मान्यता नहीं है दिनांक

विद्यालय में संचालित कक्षाएं:- कक्षा L.K.G. से XII तक

विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश हेतु एन्ट्री कक्षाएं:- कक्षा L.K.G. से XII तक
माध्यम हिंदी/अंग्रेजी/दोनों
XII हिंदी/अंग्रेजी/दोनों

सत्र 2014-15 में एन्ट्री लेवल कक्षा में प्रवेशित बालकों की संख्या-

एन्ट्री लेवल कक्षा	माध्यम	कुल प्रवेशित बालकों की संख्या			निःशुल्क सीटों पर प्रवेशित बालकों की संख्या		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
L.K.G.	हिंदी	1	2	10	0	0	0

सत्यापन के दिन निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे सत्रवार प्रवेशित बालकों की वास्तविक उपस्थिति

क्र.सं.	सत्र	प्रवेशित			उपस्थित		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	2012.13	-	-	-	-	-	-
2	2013.14	-	-	-	-	-	-
	2014.15	08	03	11	-	-	-
योग	-	-	-	-	-	-	-

निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित एवं पुनर्भरण योग्य/अयोग्य बालकों की सत्रवार एवं कक्षावार सूची (आरटीई वेब पोर्टल से डाउन लोड की हुई सूची कागज में लेवें एवं संलग्न करें) :-

क्र.सं.	सत्र	छात्र/छात्रा का नाम	पिता का नाम	एस.आर. नम्बर	वर्तमान कक्षा	माध्यम	पुनर्भरण योग्य है/योग्य नहीं है	पुनर्भरण योग्य नहीं होने का कारण
1	2014-15	राजेश कुमार	रुक्मणी देवी	738	L.K.G.	हिंदी	पुनर्भरण योग्य है	आरटीई की
2	"	प्राणेश कुमार	रुक्मणी देवी	737	L.K.G.	"	पुनर्भरण योग्य है	आरटीई की
3	"	हिरेश कुमार	रुक्मणी देवी	739	L.K.G.	"	पुनर्भरण योग्य है	आरटीई की
4								
5								
योग								

(क) छात्र के दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित व कैंचमेन्ट एरिया का निवासी होने वाली समस्त दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एवं प्रवेश तिथि से पूर्व जारी किये होने की स्थिति में बालक पुनर्गण योग्य होगा।

(ख) बालक का निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश पुनर्गण योग्य नहीं होने का निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कारण हो सकते हैं। जिसे सत्यापन दल को अंकित करना है:-

1. बालक कैंचमेन्ट एरिया से बाहर का निवासी है।
2. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुसार बालक दुर्बल वर्ग या असुविधाग्रस्त समूह का नहीं है।
3. बालक के दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह/निवास से संबंधित दस्तावेज सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नहीं है।
4. बालक के दुर्बल वर्ग/असुविधाग्रस्त समूह/निवास से संबंधित दस्तावेज प्रवेश तिथि से बाद की तिथि में जारी किये गये हैं।
5. वर्तमान में बालक के अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
6. बालक ने गत सत्र में 1 सितम्बर से पूर्व विद्यालय छोड़ दिया था।
7. बालक गत सत्र में अध्ययनरत रहा है परन्तु चालू सत्र में विद्यालय छोड़ गया।
8. बालक की मृत्यु हो गई।
9. बालक का डेटा गलती से एन्टर हो गया।

8. शेष 75 प्रतिशत छात्रों से लिए जाने वाले शुल्क का विवरण:-
(नोट:- शुल्क का सत्यापन विद्यालय की रसीद बुक, कैंश बुक व राज्य स्तरीय फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस (यदि समिति द्वारा विद्यालय की फीस निर्धारित कर दी है) के आधार पर करें। परन्तु:-

1. विद्यालय द्वारा वास्तव में लिया जाने वाला कक्षावार प्रतिबालक प्रतिवर्ष शुल्क अथवा फीस निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित कक्षावार प्रतिबालक प्रतिवर्ष शुल्क इनमें से जो भी न्यून हो के आधार पर प्रविष्टि की जाये।
2. यदि विद्यालय बाहरी दान/अनुदान/घंटी आदि से संचालित है तथा बालकों से फीस नहीं ली जाती है तो फीस का उल्लेख नहीं किया जावे।

क्र.सं.	संचालित कक्षा	हिन्दी माध्यम	विद्यालय की कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक फीस				
			2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1	Nur/LKG						
2	KG/UKG						
3	HKG/Prep						
4	I						
5	II						
6	III						
7	IV						
8	V						
9	VI						
10	VII						
11	VIII						

विद्यालय की कक्षावार एवं सत्रवार वार्षिक परीक्षा		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
संचालित कक्षा	अर्जित माध्यम					
MA/1KG						
KG/UKG						8000/-
UKG/Prop						
I						
II						
III						
IV						
V						
VI						
VII						
VIII						

सत्र 2013-14 में विद्यालय द्वारा कैंचमेंट एरिया से बाहर के बालकों को प्रवेश देने/बालक के द्वारा अन्य विद्यालय में प्रवेश ले लेने/बालक की मृत्यु हो जाने/बालक के ड्राप आउट हो जाने या किसी अन्य कारणों से अधिक भुगतान प्राप्त कर लिया गया है तो ऐसे अधिक प्राप्त भुगतान के समायोजन की राशि का उल्लेख एवं समायोजन प्रस्ताव:-

रसदार नम्बर	छात्र का नाम	पिता का नाम	एन्ट्री फ़ैबल कक्षा	फीस के समायोजन का कारण	प्रथम/द्वितीय विस्त की समायोजन राशि योग्य

(अंकों में).....(शब्दों में).....

2. विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेशित बालकों से विद्यालय में किसी तरह का भेदभाव किया जा रहा है ?

/नहीं ✓ हां

दे हां तो भेदभाव के कारण को चिन्हित करें।

निःशुल्क प्रवेशित बालकों की कक्षा अन्य बालकों से अलग लगाई जाती है।

() पेयजल/भोजन स्थल/प्रार्थना स्थल के उपयोग के समय अलग बैठाया/खड़ा किया जाता है।

() निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को विद्यालय में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें तथा सहायक सामग्री दी गई है।

हां/नहीं
12. विद्यालय द्वारा निशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बालकों को उपलब्ध कराई गई निशुल्क पाठ्यपुस्तकों तथा सहायक सामग्री के संबंध में कोई राशि ली गई है।

हां/नहीं
13. अन्य विवरण जो निरीक्षण दल उल्लेखित करना उचित समझे:-

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता मय नाम

1. प्रधानाचार्य 14/11/14
उ.उ.ग.वि., बालाहरी (दोसा)

गिरधारी लाल कौर

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता मय नाम

2. 21/11/14 गुमनाम

निरीक्षण दल का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि हमने दिनांक 14/11/14 को (विद्यालय का नाम) 2. ससली देवी 8 में उपरिष्ठित होकर भौतिक सत्यापन कर उनके प्रवेश संबंधी आवश्यक दस्तावेजों एवं शुल्क संबंधी दस्तावेजों का अवलोकन कर लिया है। बालकों के निशुल्क शिक्षा हेतु प्रवेश की पात्रता की जांच कर ली है एवं सत्र 2014-15 के लिए निरीक्षण दल द्वारा अतिरिक्त शुल्क/अनिश्चित अंशना योग्य राशि का आकलन कर नियमानुसार उसके समायोजन की अनुशंसा कर दी है। जो बालक पुनर्भरण योग्य है उनकी व जो बालक पुनर्भरण योग्य नहीं है उनकी मय कारण सूची निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न कर दी है।

हस्ताक्षर अध्यक्ष
उ.उ.ग.वि., बालाहरी (दोसा)
भौतिक सत्यापन दल

हस्ताक्षर सदस्य
भौतिक सत्यापन दल

प्रतिवेदन की एक प्रति प्राप्त की।
दिनांक-

हस्ताक्षर संस्था प्रधान/प्रगारी
दिनांक एवं विद्यालय की मोहर सहित